# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – 26 / 2023

## महेश्वरी प्रसाद बनाम् मनोज कुमार साव

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
| --- | --- | --- |
| 27/10/2023 | यह वाद अपीलार्थी महेश्वरी प्रसाद, पिता–स्व० सुरजनाथ साव, ग्राम–पतरातू, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या–14 / 2020–21 मनोज कुमार साव बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–11.10.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता नं०–94 प्लॉट नं०–1193, रकवा–0.4250 ए०, प्लॉट नं०–1194, रकवा–0.2150 ए० कुल रकवा–0.64 ए० भूमि से संबंधित है।<br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन / कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।<br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता नं०–94 प्लॉट नं०–1193, रकवा–0.4250 ए०, प्लॉट नं०–1194, रकवा–0.2150 ए० कुल रकवा–0.64 ए० भूमि सर्वे खतियान में फुलू महतो कौम तेली के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता नं०–94 प्लॉट नं०–1193, रकवा–0.4250 ए०, प्लॉट नं०–1194, रकवा–0.2150 ए० कुल रकवा–0.64 ए० भूमि सर्वे खतियान में कुलू महतो कौम तेली के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14 / 2020–21 में पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। विपक्षी का पूर्व में दायर किया गया दाखिल खारिज वाद संख्या–31 R27/2018-19 को अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा खारिज किया गया था। विपक्षी के द्वारा पुनः अंचल अधिकारी का कार्यालय, पतरातू में दाखिल खारिज वाद संख्या–92 R27/2019-20 दायर किया गया। जिसे आपति के कारण अस्वीकृत किया गया। विपक्षी उक्त पारित | |

आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14/2020–21 दायर किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा बिना fact को जाने अपील आवेदन स्वीकृत किया गया। वास्तविक fact यह है कि मौजा–पतरातू के खाता सं०–94, प्लॉट सं०–1193, रकवा–85 डी० एवं प्लॉट नं०–1194, रकवा–43 डी० कुल रकवा–1.28 ए० भूमि सर्वे खतियान में फुलु महतो पिता–शितल महतो एवं कजरू महतो पिता–माघा महतो के नाम से बाहिस्सा बराबर रैयती दर्ज है। लेकिन कजरू महतो ने अकेले कुल रकवा–1.28 ए० भूमि निबंधित केवाला संख्या–743, दिनांक–08.02.1950 से बीबी जोहरा पति–शेख बली मोहम्मद को बिक्री कर दिये। सुर्यनाथ महतो पिता–फुलु महतो के द्वारा बीबी जोहरा एवं अन्य के विरूद्ध Court of Additional Sub-Ordinate Judge, Hazaribagh के न्यायालय में Partition Suit No.-80/28 of 1964/66 दायर किया गया, जो दिनांक–18.03.1966 को अस्वीकृत हो गया। पुनः सुर्यनाथ साहु के द्वारा दिनांक–18.03.1966 को पारित आदेश के विरूद्ध District Judge, Hazaribagh के न्यायालय में Title Appeal No.-36 of 1966 दायर किया गया। उक्त Title Appeal को दिनांक–24.01.1967 को स्वीकृत किया गया। उक्त वाद के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में बीबी जोहरा के द्वारा Second Appeal No.-150 of 1967 दायर किया गया, जिसे दिनांक–24.07.1968 को अस्वीकृत किया गया। माननीय कोर्ट के आदेश का अनुपालन हेतु एवं भुमि के बॉटवारा हेतु सुर्यनाथ साहु के द्वारा First Additional Sub Judge, Hazaribagh के न्यायालय में Execution Case No.-3/73 दायर किया गया। उक्त न्यायालय के द्वारा Pleader Commissioner नियुक्ति किया गया, जो दोनो पक्षों को भूमि का बॉटवारा करते हुए दखल कब्जा दिलाया गया। जिसके अनुसार बीबी जोहरा को प्लॉट नं०–1193 में 21 डी० एवं प्लॉट नं०–1194 में 43 डी० जमीन चिन्हित किया गया। रिवीजनकर्ता महेश्वरी प्रसाद साहु ने उचित राशि दे कर मोहम्मद यसीन पिता–शेख वली मोहम्मद एवं बीबी जोहरा से निबंधित केवाला संख्या–2341, दिनांक–13.06.1966 के द्वारा खाता सं०–94 के प्लॉट नं०–1193 में रकवा–$4^1/_5$ डी० एवं प्लॉट न०–1194 में रकवा–$8^3/_5$ डी० भूमि क्रय किये। जिसका लगान रसीद निर्गत हो रहा है। उन्होनें आगे कहा है कि विपक्षी के द्वारा फर्जी केवाला जिसमें दिनांक–04.07.2014 दर्ज है को दिखाकर दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, पतरातू को दिया गया, जिसमें बिक्रेता मोहम्मद रियाजुल पिता–मोहम्मद मनीर, गुलाम सहबनी पिता–अलाउदीन, मोहम्मद सलाउदीन पिता– अलाउदीन, मोहम्मद शहबुदीन पिता–अलाउदीन से भूमि क्रय संबंधी केवाला प्रस्तुत किया गया। उन्होनें आगे कहा है कि जब बीबी जोहरा के पुत्र मोहम्मद यसीन के द्वारा प्लॉट नं०–1193 में रकवा–43 डी० मध्ये रकवा–$4^1/_5$ डी० एवं प्लॉट न०–1194 में रकवा–21 डी० मध्ये रकवा–$8^3/_5$ डी० भूमि रिवीजनकर्ता को बिक्री कर दी गई तो फिर प्लॉट

नं०–1193 में रकवा–43 डी० एवं प्लॉट नं०–1194 में रकवा–21 डी० का केवाला एवं दाखिल खारिज किया जाना नियमसंगत नहीं है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14/2020–21 में दिनांक–11.10.2022 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस तो किया गया लेकिन न तो लिखित अभिकथन दिया गया और न ही वाद से संबंधित किसी प्रकार का दावा संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया। अभिलेख में संधारित कागजातो एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवाला संख्या–1873, दिनांक–04.07.2014 से विपक्षी के द्वारा मौजा–पतरातू थाना नं०–22 के खाता सं०–94 में प्लाट नं०–1193 में रकवा–42 ½ डी० एवं प्लाट नं0–1194 में रकवा–21 ½ डी० भूमि मोहम्मद रियाजुल पिता–स्व० मोहम्मद मनीर, गुलाम सहबानी, मोहम्मद सलाउदीन, मोहम्मद शहबुदीन तीनो के पिता–अलाउदीन से क्रय कर दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में आवेदन दायर किया गया। जिसका वाद संख्या–92 R27/2019-20 है। जिसे अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा आपति के आधार पर अस्वीकृत कर दिया। विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14/2020–21 दायर किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने सुनवाई के पश्चात अपील आवेदन स्वीकृत कर दिये।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा रिवीजनकर्ता को बिना पक्षकार बनाए ही दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता नं०–94 प्लॉट नं०–1193, रकवा–85 डी०, प्लॉट नं०–1194, रकवा–43 डी० कुल रकवा–1.28 ए० भूमि सर्वे खतियान में फुलू महतो पिता–शितल महता, कजरू महतो पिता–माघा महतो कौम तेली के नाम से बहिस्सा बराबर रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें बॅटवारा से प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि चुॅकि खतियानधारी के द्वारा जिस व्यक्ति को भूमि बिक्री की गई उसमें से कुछ अंश मेरे द्वारा क्रय किया गया तो विपक्षी को पुरी भूमि का केवाला किया जाना नियमसंगत नहीं है। विपक्षी के द्वारा भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। रिवीजनकर्ता ने खतियानी भूमि के बॅटवारा के अतिरिक्त भी भूमि क्रय की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उसमाहर्त्ता, रामगढ़ क़े द्वारा रिवीजनकर्ता को भी पक्षकार बनाते हुए आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14/2020–21 मनोज कुमार साव बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–11.10.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में रिवीजनकर्ता को नोटिस निर्गत करते हुए पुनः सुनवाई कर Fresh आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 27/10/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 27/10/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.25 15:14:46 +05:30
Location: 192.168.0.49